न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:– 12/69/2024 रजू दिनांक: 08.05.2024 रजि0 न0 2023/107

अपीलार्थी:–

श्री सुल्तान सिंह मीना, निवासी ग्राम भजेडा, तहसील राजगढ़, जिला अलवर (राज0) 301414

प्रत्यर्थी:–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय, जिला अलवर (राज0)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांक:– 11.06.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 07.03.2024 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 21.05.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2024/856–57 दिनांक 24.05.2024 के माध्यम से अपीलार्थी को अवगत कराते हुए प्रतिलिपि पत्र प्रेषित किया है, कि प्रकरण में प्रत्यर्थी द्वारा RTI Online आवेदन संख्या 293138931112280 दिनांक 07.03.2024 के माध्यम से उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के पत्र सं0 2127 दिनांक 11.11.2022 के परिपेक्ष्य में की गई कार्यवाही बाबत सूचा चाही गई थी, उक्त आवेदन सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर प्रथम) अलवर को पत्रांक 526 दिनांक 08.04.2024 के माध्यम से सूचना प्रेषण हेतु अग्रेषित किया गया किन्तु समयान्तर में सूचना अप्राप्त रहने के कारण समय पर सूचना प्रेषित नहीं की जा सकी है। तथापि अब सूचना आवेदन व प्रथम अपील के अनुसरण में अति0 जिला कलक्टर प्रथम एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेट, अलवर के पत्रांक राजस्व/आरटीआई/2024/1091 दिनांक 13.05.2024 के माध्यम से कुल 03 पृष्ठीय सूचना अपीलार्थी को भिजवाते हुए सूचित किया जा चुका है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
5. उक्त आलोक में अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज दिनांक 11.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर अलवर
(राज0)